

2021/1441

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
पीठासीन अधिकारी:- अमिलाषा (RAS) कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत:- 22 आर जे डी
-:आदेश:-

क्रमांक :- 3378

दिनांक 17/11/21


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 10 के.पी.डी एवं भू-अमिलेख निरीक्षक वृत्त 9 पी. एस.डी(ए) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रावला/365 हैड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अनुसरण में ग्राम 2 के.एच.एम तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 में खाता संख्या 23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

| क्र. स. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2 के.एच. एम | 17 | चेतराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार रहन:- स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रावला मण्डी | चेतराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार रहन:- भारतीय स्टेट बैंक शाखा रावला मण्डी धानभण्डा रावला |


(अमिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना
दिनांक 17/11/21

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/3379-8।
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रावला/365 हैड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी श्री चेतराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


(अमिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना